न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1032–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–02–2014 पारित द्वारा तहसीलदार नजूल इंदौर जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 52/अ–68/2012–13.

....

1–इन्द्रजीतसिह पिता गुरूकृपालसिंह
2–गुरूकृपालसिह उर्फ पप्पू सरदार
निवासी 83–84 तिलकनगर मेनरोड इंदौर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

तहसीलदार नजूल इंदौर

.... अनावेदक

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 20.11.2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नजूल इंदौर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक नजूल पलासियाहाना द्वारा तहसीलदार नजूल जिला इंदौर को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा ग्राम पलासियाहाना स्थित नजूल भूमि सर्वे कमांक 348 में रकवा 40X140 कुल रकवा 5560 वर्गफीट पर दुकान बनाकर अवैध कब्जा किया गया है उक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार तहसीलदार द्वारा 52/अ–68/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान

आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर नगर पलिका निगमृ इंदौर से नक्शा स्वीकृत कराकर मकान निर्माण किया गया है, और यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अतिक्रमण पाया जाता है, तब वह भूमि छोडने को तैयार है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–02–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार द्वारा पारित इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि उनके द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाये तब स्थिति स्पष्ट होगी । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन नहीं कराने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका पंचनामा दिनांक 22–8–2012 में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन नहीं किया गया है और न ही फील्डबुक तैयार की गई है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमाने ढॅग से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध अतिक्रमण मानने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और अनावेदकगण द्वारा जो रजिस्ट्री प्रस्तुत की गई है वह विनोवा नगर के नाम से है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पलासियाहाना में स्थित है । इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में पूर्णत विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अतिक्रमण मानते हुये कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाना बतलाते हुये प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सीमांकन में आवेदकगण का अवैध अतिक्रमण निकलता है तब वे अतिक्रमण छोड़ने को तैयार है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का यह विधिक व न्यायिक दायित्व था कि वे प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराकर विधिसंगत कार्यवाही करते, परन्तु उनके द्वारा आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नजूल इंदौर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2014 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर